

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:-136 / 2025

तारीख रजू :- 23.09.

2025

पीठासीन अधिकारी :- श्री अमन चौधरी आर.ए.
एस.

राजेश पुत्र बाबूलाल जाति बाह्याम्ण निवासी मूंडिया तह0 बालघाट
जिला करौली राज0

बनाम

तहसीलदार बालघाट तह0 बालघाट जिला करौली राज0

दावा वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एकट

अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एकट

उपस्थित :- 1 श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 28.09.26



वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट के खाता संख्या 188 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1045 रकवा 0:42 है0, खं0 नं0 1064 रकवा 0:20 है0, खं0 नं0 1065 रकवा 0:07 है0 खं0 नं0



1066 रकवा 0:27 है0 खं0 नं0 2052 रकवा 0:18 है0 कुल किता 05 कुल रकवा 1:14 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी वहिस्सा 1/8 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 189 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1038/2833 रकवा 0:10 है0, खं0 नं0 1046 रकवा 0:13 है0, खं0 नं0 1048 रकवा 0:01 है0 खं0 नं0 1049 रकवा 0:57 है0 खं0 नं0 1050 रकवा 0:44 है0 कुल किता 05 कुल रकवा 1:25 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार काशतकार है खाता संख्या 190 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1044 रकवा 0:57 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:57 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार काशतकार है इसी प्रकार खाता संख्या 192 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1040 रकवा 0:50 है0, खं0 नं0 1053 रकवा 0:18 है0, खं0 नं0 1054 रकवा 0:42 है0 कुल किता 03 कुल रकवा 1:11 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 खातेदार काशतकार है इसी प्रकार खाता संख्या 193 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1047 रकवा 0:20 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:20 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 194 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1037/2613 रकवा 0:24 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:24 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 195 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1055 रकवा



28/11/25

0:66 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:66 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/12 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 322 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1059 रकवा 0:01 है0, खं0 नं0 893 रकवा 0:50 है0, खं0 नं0 894 रकवा 0:27 है0 खं0 नं0 895 रकवा 0:27 है0 कुल किता 04 कुल रकवा 1:05 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 324 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1058 रकवा 0:43 है0, खं0 नं0 1060 रकवा 0:45 है0, कुल किता 02 कुल रकवा 0:88 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमें वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 326 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 897 रकवा 0:13 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:13 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 661 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1057 रकवा 0:81 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:81 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 662 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1056 रकवा 0:70 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:70 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/16 का खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 663 सम्वत 2076-2079 आराजी खं0 नं0 1060/2803 रकवा 0:85 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 0:85 है0 ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट में स्थित है जिसमे वादी हिस्सा 1/8 का खातेदार है वादी ग्राम



28/1/25

मूडिया की निवासी है उक्त आराजी वादी को अपने पिता बाबूलाल से विरासत के रूप में मिली है वादी के पिता बाबूलाल के चार पुत्र वादी राजेश, मनोज निरंजन, राकेश थे बाबूलाल की विरासत खोलते समय उनके वारिस पुत्रान मनोज निरंजन, राकेश का नाम तो सही खोल दिया लेकिन वादी का नाम राजेश के स्थान पर राजू अंकित कर दिया जो गलत अंकित किया है जबकि वादी का सही नाम राजेश है जो उसके आधार कार्ड , राशन कार्ड , पैन कार्ड , मूल निवास , जनआधार कार्ड में अंकित है जो सही है रेवेन्यू रिकोर्ड में वादी का नाम राजू अंकित कर दिया है जो गलत किया है इसलिए वादी अपना नाम राजू के स्थान पर राजेश कराने का हकदार है वादी को उक्त गलती का पता चलने पर वादी दिनांक 19:09:2025 को तहसीलदार जी से तहसील कार्यालय में दस्तावेजात लेकर मिला तथा रेवन्नु रिकार्ड जमाबंदी में नाम दुरुस्त कराने को कहा तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय से नाम दुरुस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैराकार सरकार (तहसीलदार बालघाट) को सम्मन से तलब किया है प्रतिवादी सरकार पैरोकार उपस्थित हुए पैरोकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम मूडिया कि वर्तमान जमावंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 322, 324, 326, 661, 662, 663 में वादी का नाम राजू पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहाम्ण दर्ज रिकार्ड है। कि साविक जामबंदी

20/1/26

संवत् 2037-40 के खाता 477 में भी वादी का नाम राजू पुत्र बाबूलाल दर्ज रिकार्ड है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक में वादी का नाम राजेश पुत्र बाबू अंकन है, जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजू पुत्र बाबूलाल दर्ज है। जिसको वादी राजू के स्थान पर राजेश शुद्ध करवाना चाहता है। जिसको वादी राजू के स्थान पर राजेश शुद्ध करवाना चाहता है

मैने उभय पक्ष की बहस सुनी वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार कर वादी का नाम राजू के स्थान पर राजेश करने का कथन किया कि रेवेन्यू रिकोर्ड में पिता की विरासत खोलते समय वादी का नाम राजू अंकित कर दिया है जबकि वादी का सही नाम राजेश है जो जिसके समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड , राशन कार्ड , पैन कार्ड , मूल निवास ,जन आधार कार्ड में अंकित है पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादी का नाम रेवेन्यू रिकोर्ड में राजू है मैने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया चूकि वादी का नाम विरासत में गलत अंकित हुआ है पैराकार की रिपोर्ट वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व सह खातेदारो की सहमति से प्रकट होता है कि वादी का सही नाम राजेश है

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

3
20/1/26

निर्णय

अतः ग्राम मूंडिया तह0 बालघाट जिला करौली राज0 वर्तमान जमावंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 322, 324, 326, 661, 662, 663 में वादी का रेवेन्यू रिकोर्ड में अंकित नाम राजू पुत्र बाबूलाल हजफ फरमाकर राजेश पुत्र बाबूलाल अंकित किया जावे वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार ~~बाबूलाल~~ को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वयं की होगी।

यह निर्णय दिनांक १४.०१.२०२६ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया



(अमन चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोंडाभीम जिला करौली